न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री डूँगरगढ

मुकदमा नम्बर 111/2018

निर्णय दिनांक 18.12.2019

स्टेट जरिये तहसीलदार, नोखा

बनाम

-------वादी

सहायक जनरल मैनेजर (प्लानिंग) जी.एम. टी.डी. पब्लिक पार्क बीकानेर जिला बीकानेर

---------प्रतिवादी

उपस्थिति–

1. पैरोकार राज वादी की तरफ से
2. श्री अरूण मित्तल अधिवक्ता प्रतिवादी की तरफ से ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीए

यह वाद इस न्यायालय में स्टेट जरिये तहसीलदार, श्री डूँगरगढ ने पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रोही मोमासर तहसील श्री डूँगरगढ स्थित खसरा नम्बर 419 तादादी 0.25 हैक्टयर प्रतिवादी के नाम खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । प्रतिवादी ने बिना किसी सक्षम स्वीकृकित व बिना भूमि का रूपान्तरण करवाये बीएसएनएल टावर का निर्माण कर लिया है जो कि काश्तकारी अधिनियम के खिलाफ है । प्रतिवादी द्वारा कृषि भूमि पर अवैध रूप से बीएसएनएल टावर लगाया जाने के कारण कृषि भूमि को अकृषि कार्य में उपयोग किया जा रहा है । इस प्रकार प्रतिवादी के विरूद्ध राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 177 के तहत प्रतिवादी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिए वाद प्रस्तुत किया जा रहा है । प्रतिवादी को न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 15.9.2016 को नोटिस जारी कर अवैध रूप से लगाये गये बीएसएनएल टावर को हटाने व कृषि भूमि का रूपान्तरण करवाने हेतु बार बार लिखा गया लेकिन बाद गुजरने मियाद भी प्रतिवादी द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी कार्यवाही नहीं की और ना ही अवैध टॉवर को हटाया है ना ही रूपान्तरण करवाया है । प्रतिवादी द्वारा किया गया उक्त कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की शर्तो के उल्लंघन करने की तारीफ में आता है । जिसका खातेदार को किसी भी प्रकार से हक हासिल नहीं है औरा ना ही अधिकार प्राप्त है । खातेदाररी अपनी खातेदारी भूमि में किसी भी प्रकार से नेचर परिविर्तन नहीं कर सकता है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मोमासर तहसील श्री डूँगरगढ में स्थित खातेदारी खेत खसरा नम्बर 419 तादादी 0.25 हैक्टयर में से 234 वर्गमीटर भूमि से प्रतिवादी को बेदखल किये जाने के आदेश फरमावें तथा खातेदारी के खातेदारी अधिकार समाप्त कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने हेतु आदेश फरमावे अन्य कोई अनुतोष जो वादी के पक्ष में उचित हो फरमाई जावें ।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जबाब पेश किया कि भारत सरकार के पोस्ट एण्ड टेलीग्राम मैनयूल द्वितीय की धारा 467 के अनुसार राज्य सरकार को प्रतिवादी के विभाग की जमीन एवं भवन में किसी भी प्रकार की बाधा डालने से इंकार किया गया है । वादी का दावा विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है । वादी को विनायदावा प्राप्त नही हुआ है तथा विनाय दावा प्राप्त नहीं होने सें दावा चलने योग्य नहीं है । भूमि संपरिवर्तन नियम जो धारा 92 ए भूराजस्व अधिनियम के तहत बने है के तहत एक बीघा भूमि की हद तक भूमि का किस्म परिवर्तन कराना

खण्ड अधिकारी
डूंगरगढ (बीकानेर)

अनिवार्य नहीं है । प्रतिवादी की भूमि 0.25 हैक्टयर है जो कि एक बीघा के अन्दर आती है । वादी अगर प्रतिवादी को भूमि परिवर्तन के लिए नोटिस देता है तो प्रतिवादी द्वारा वादी के नोटिस पर विचार किया जा सकता है । अतः जवाब पेश कर निवेदन किया है कि वादी का दावा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई । पैरोकार राज ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीनी द्वारा कृषि भूमि पर बिना किसी सक्षम अनुमति के टावर स्थापित कर लिया है । अतः उक्त रकबा राज्य सरकार के पक्ष में रिज्यूम करने के आदेश देते हुए खातेदार की टीनेन्सी समाप्त की जावें । प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि पोस्ट एण्ड टेलीग्राम मैन्यूल द्वितीय की धारा 467 के अनुसार राज्य सरकार को प्रतिवादी के विभाग की जमीन एवं भवन में किसी भी प्रकार की बाधा डालने से इंकार किया है । इसके अलावा भूमि संपरिवर्तन नियम जो धारा 92 ए भूराजस्व अधिनियम के तहत बने है उसके तहत भी एक बीघा भूमि की हद तक भूमि का किस्म परिवर्तन कराना अनिवार्य नहीं है । अतः वादी वाद खारिज किया जावें ।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रतिवादी ने कृषि भूमि का बिना किसी सक्षम अनुमति के टावर का निर्माण किया गया है । जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का स्पष्टतः उल्लंघन है । अतः वादी का वाद स्वीकार स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है ।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 419 तादादी 0.25 हैक्टयर भूमि में से 234 वर्गमीटर भूमि वाके रोही मोमासर तहसील श्री डूँगरगढ जिसमें प्रतिवादी द्वारा टावर का निर्माण कर रखा है उस भूमि के खातेदारी अधिकार समाप्त कर प्राथी की उक्त भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित की जाती है । तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें । निर्णय की पालना अपील मियाद गुजरने के बाद की जावें । डिक्री जारी हों ।

पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों । निर्णय इजलास सुनाया गया ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

डिक्री मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार न्योल आरएएस..

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्री डूँगरगढ वनाम सहायक जनरल मैनेजर (प्लानिंग) जीएमएण्ड टीडी बीकानेर

मुकदमा नम्बर 111/2018

निर्णय दिनांक 18.12.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत वहाजरी वादी की ओर से पैरोकार राज अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी की तरफ से श्री अरूण कुमार मित्तल अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 419 तादादी 0.25 हैक्टयर भूमि में से 234 वर्गमीटर भूमि वाके रोही मोमासर तहसील श्री डूँगरगढ जिसमें प्रतिवादी द्वारा टावर का निर्माण कर रखा है उस भूमि के खातेदारी अधिकार समाप्त कर प्राथी की उक्त भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित की जाती है । तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें ।

लीज....0.....मुबलिग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ...0..फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयावी.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 16 माह दिसम्बर सन् 2019 को जारी किया गया ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	व	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

उपखण्ड अधिकारी
श्री डूँगरगढ